कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–300 / सी0ई0ओ0–1–64 / 1–2013 दिनांक 17 जनवरी, 2022

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 में शिक्षामित्रों / महिला शिक्षामित्रों, रोजगार सहायकों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्मिकों व अन्य समकक्ष को मतदान कार्मिक के रूप में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464 / उ0प्र0–वि0स0 / भा0नि0आ0 / निर्देश / टेरी / उ0अ0–III दिनांक 17.01.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 के दृष्टिगत शिक्षामित्रों / महिला शिक्षामित्रों, रोजगार सहायकों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्मिकों व अन्य समकक्ष को मतदान कार्मिक के रूप में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैः–

(1) ऐसे कार्मिकों की ड्यूटी सम्बन्धित जनपद द्वारा केवल इस स्थिति में लगायी जायेगी जब जनपद द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि मंडलीय पूल से प्राप्त नियमित सरकारी कार्मिकों को पूर्णतः utilise कर लिया गया है।

(2) जहां तक संभव हो, उक्त कार्मिकों को आरक्षित पूल में रखा जाएगा।

(3) शिक्षा मित्रों को 'मतदान अधिकारी द्वितीय' तथा अन्य कर्मियों को केवल 'मतदान अधिकारी तृतीय' के रूप में लगाया जाएगा।

अतः आयोग से प्राप्त उक्त पत्र दिनांक 17.01.2022 की छायाप्रति संलग्नकर भेजते हुए अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–**यथोक्त।**

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्याः–300 (1)सी0ई0ओ0–1–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि उक्त संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
2. समस्त उप / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को पी0डी0एफ0 हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
विशेष कार्याधिकारी।